न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1 हिण्डौन सिटी

पीठासीन अधिकारी – विकास सिंह चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित दीवानी अपील सॅख्याः 02/18 सीआईएस नं. 02/2018

1. अजबसिंह गुर्जर दत्तक पुत्र स्व. शिवचरण गुर्जर उम्र 22 साल , जाति गुर्जर निवासी ग्राम अकबरपुर श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

–अपीलाण्ट

बनाम्

1. सुशीला बेवा स्व. शिवचरण जाति गुर्जर , उम्र 67 साल, निवासी ग्राम अकबरपुर ।
2. रामराज पुत्र रामसिंह उम्र 43 साल
3. विमला उर्फ विरमा पत्नि रामराज उम्र 41

जाति गुर्जर , निवासी महतेकापुरा कैमरी तह. नादौती जिला करौली।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 24.01.2018 पारित द्वारा
सिविल न्यायाधीश,श्रीमहावीरजी , मूल दीवानी वाद सं–20/15,
बउनवान अजबसिंह बनाम सुशीला आदि
दावा बाबत घोषित किये जाने दत्तक पुत्र

उपस्थित–

1. श्री पी0एल0 गोयल , अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री रधुवीरसिंह , अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनॉकः 01.06.2019

01. अपीलार्थी अजबसिंह द्वारा यह नियमित दीवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश, श्रीमहावीरजी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.01.18 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील पर उभय पक्ष को सुना गया।

02. बहस के दौरान सुयोग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के अनुरूप यह कथन किया गया है कि वादी अपीलाण्ट ने एक दावा बाबत घोषित किये जाने दत्तक पुत्र न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादी, प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस सं. 2 व 3 का प्राकृतिक पुत्र रहा है, तथा प्रतिवादी नं0 1 व उसके स्व. पति शिवचरण गुर्जर के कोई पुत्र नहीं था व प्रतिवादी नं0 2 व 3 जो कि उसकी पुत्री व दामाद हैं , उनसे प्रतिवादी नं0 1 के पति शिवचरण गुर्जर व प्रतिवादी सं. 1 सुशीला ने उनके पुत्र

वादी को गोद लेने की इच्छा जाहिर की जिस पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 गोद देने को तैयार हो गये तो प्रतिवादी सं. 1 के पति शिवचरण ने प्रतिवादी सं. 1 की सहमति व स्वीकृति से व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की सहमति से वादी को दिनांक 06.06.06 को गंगा दशहरे के दिन सामाजिक रीति रिवाज व परम्पराओं के अनुसार जाति विरादरी व नाते रिश्तेदारों के समक्ष वादी को बाल्यावस्था में गोद ले लिया , जिसके अनुसार प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वादी को प्रतिवादी सं. 1 व उसके पति शिवचरण की गोद में बैठा दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 व उसके पति ने वादी के सिर पर हाथ फेरकर उसे अपना पुत्र मान लिया। दत्तक होम हुआ , नारियल बतासे बांटे गये , इस प्रकार वादी दिनांक 06.06.06 गंगा दशहरा से सही प्रतिवादी सं. 1 व उसके पति का शिवचरण का दत्तक पुत्र हो गया तथा वादी को वे सभी समस्त अधिकार प्राप्त हो गये जो औरस पुत्र को प्राप्त होते हैं। वादी का दत्तक पिता शिवचरण मात्र साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था जो वादी को गोद लेने की लिखापढी नहीं करा सका , मगर वादी की वोटर लिस्ट व निर्वाचन आयोग के पहचानपत्र में उसकी बल्दियत शिवचरण ही दर्ज है जिससे भी वादी प्रतिवादी सं. 1 व स्व. शिवचरण का दत्तक पुत्र साबित है। वादी के दत्तक पिता शिवचरण गुर्जर ने दिनांक 14.11.11 को वादी को गोद लिये जाने की लिखापढी 100/– रूपये के स्आम्प पर बतौर याददास्त करवा दी तथा उसे नोटेरी पब्लिक से अटैस्टेड करा दिया, ताकि भविष्य में गोद बाबत वादी को परेशानी ना हो । वादी का दत्तक पिता शिवचरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीरजी में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था , जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.04.13 को हो गया , उनके मरने पर वादी ने दत्तक पुत्र होने के नाते उनके समस्त क्रियाकर्म किये तथा दत्तक पिता के स्थान पर राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिये मृतक राजकर्मचारी आश्रित के लिये वादी ने दत्तक पुत्र होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन किया तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा यह बताया कि उसके आवेदन पर आक्षेप है कि गोदनामा पंजीयन कार्यालय से रजिस्टर नहीं है, उसे रजिस्टर करवाकर पुनः भेजे, जबकि गोद लिये जाने की लिखावट दिनांक 14.11.11 के आधार पर तहरीर व तकमील कराकर उसे सबरजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां पंजीकृत करा दिया, मगर उसकी बारहवी लाईन में गलती से दिनांक 04.09.13 टाईप हो गया , जिसका शुद्वीपत्र भी दिनांक 28.01.14 को पंजीयन कार्यालय मे कराकर दिनांक 04.09.13 के स्थान पर दिनांक 04.10. 13 करवाया , इस प्रकार वादी को प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा समस्त रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 06.06.06 को गंगा दशहरे को गोद लेने के पश्चात से ही वादी दत्तक पुत्र के रूप में उनकी सेवा चाकरी करता रहा है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादी को दत्तक घोषित किये जाने का वाद दायर किया था जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा एकवालिया जबाब पेश कर वादी द्वारा बताये गये तथ्यों को स्वीकार किया है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं के, यादराम व ओमी उर्फ औमप्रकाश

के बयान भी कराये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर ध्यान न देकर खिलाफ कानून प्रकरण को वैध वारिस/ वैध उत्तराधिकार का मानकर और उस संबध में अपने अधिकारिता नहीं होना मानकर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के स्कोप से बाहर जाकर एक नया केस क्रियेट कर निर्ण व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये हैं। अतः प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.18 निरस्त फरमाया जाकर वादी अपीलाण्ट को रेस्पो./प्रतिवादी नं0 1 व उसके स्व. पति शिवचरण का दत्तक पुत्र घोषित फरमाया जावे।

3. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की उक्त बहस का एवं अपील का विरोध करते हुये सुयोग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंन्टस का यह कथन है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश तथ्य एवं विधिक रूप से उचित, अनुकूल एवं स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

4. बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, आक्षेपित प्रश्नगत निर्णय व डिक्रीं का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील के निर्णय हेतु इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुऐ निर्णय दिनांक 24.01.18 को पारित किया है वह तथ्य एवं विधि से सुसंगत है अथवा नहीं ।

5. मनन किया अवलोकन किया गया । पत्रावली का अवलोकन करने से यह जाहिर आता है कि वादी अपीलार्थी अजबसिंह द्वारा एक वाद बाबत घोषणा दत्ततक पुत्र घोषित किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था , जिसमें उसके द्वारा स्वंय को स्व. शिवचरण गुर्जर द्वारा दिनांक 06.06.06 को प्रतिवादी सं0 1 पत्नि स्व. शिवचरण गुर्जर द्वारा वादी को बाल्यावस्था में ही गोद लिये जाने के तथ्य अभिकथित किये हैं । वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत हुआ है , उसमें प्रतिवादी सं. 1 सुशीलादेवी वेवा स्व. शिवचरण गुर्जर एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 रामराज पुत्र रामसिंह व विमला उर्फ विरमा पत्नि रामराज को संयोजित किया है , जिसमें प्रतिवादी सं. 1 गोदमाता व प्रतिवादी सं. 2 व 3 जायंदा माता पिता बतलाये गये हैं , जो जबाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह इकबालिया है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किये गये हैं , जो कि इकबालिया जबाब होने के कारण विधिक रूप से अनुकूल नहीं हैं।

6. विवाद्यक सं. 1 व 2 पर विवेचना किये जाते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि वादी स्वयं को मृतक शिवचरण का विधिक वारिस अथवा वाद उत्तराधिकारी घोषित करवाने के संबध में अनुतोष चाहता है , जिसकी अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होना बतलाया गया है। वाद पत्र का अवलोकन करने से यह जाहिर आता है कि वादी द्वारा अपने अनुतोष में स्वयं को मृतक शिचरण गुर्जर एवं गोदमाता प्रतिवादी सं. 1 का दत्तक पुत्र घोषित फरमाये जाने की याचना की गई है। इस प्रकार वाद पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी द्वारा दत्तक पुत्र होने के संबध में याचना की गई है , ना कि वैध वारिस अथवा वैध उत्तराधिकार घोषित करवाने के संबध में । यह स्थापित विधि है कि घोषणा का वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का है । ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है अधीनस्थ न्यायालय इस अपील में विवेचित आधारों को मददेनजर रखते हुऐ उभय पक्षों को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करें

आ दे श

7. अतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अपील विरूद्व प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त उनवानी दावा अजबसिंह बनाम सुशीला मु. नं. 20/15 में अपील में विवेचित किये गये आधारों को मददेनजर रखते हुऐ उभय पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें ।

8. आदेश की एक प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(**विकास सिंह चौधरी**)

9. निर्णय आज दिनॉक 01.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(**विकास सिंह चौधरी**)